**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1441**

**24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**अगस्टा वेस्टलेंड को काली सूची से हटाना**

**1441. श्री नीरज शेखर :**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सरकार द्वारा अगस्टा वेस्टलेंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की खबर आने के पश्चात काली सूची में डाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान सरकार ने इस काली सूची में डाली गई कंपनी को नौसैनिक उपयोग के हेलीकॉप्टरों की बोली में भाग लेने की अनुमति दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): इन कंपनियों के साथ प्रक्रियाधीन अधिप्राप्ति/अर्जन संबंधी सभी मामलों को जुलाई, 2014 में जारी किए गए आदेश के तहत आस्थगित कर दिया गया था ।

(ग): जी, नहीं । मै. लियोनार्डो एसपीए (अगस्टा वेस्टलेंड सहित तत्कालीन फिनमेकेनिका समूह की कंपनियां) के साथ व्यावसायिक लेन-देन निलंबित बने रहेंगे । व्यावसायिक लेन-देन के निलंबन को छह माह की अवधि हेतु बढ़ाए जाने के संबंध में नवीनतम आदेश 08.11.2018 को जारी किए गए हैं । नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों के मामले में, हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध अभी जारी किया जाना है ।

(घ): उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*